O/o CE (EITC)
Receipt No. 3140
Date .. 30 NOV 2017
DGM (IT) / SE (O)
EE Billing W...
Section ....

CSPDCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड
(A Government of Chhattisgarh Undertaking) &
(A Successor Company of CSEB)
CIN-U40108CT2003SGC015822
OFFICE OF CHIEF ENGINEER (RA&PM) CSPDCL, RAIPUR
PHONE No. (0771)-2574441 FAX No.(0771)- 2574442
Website: www.cspdcl.co.in E-mail ID: cecomcseb@rediff.com

क्र. 02-02 / अ.मु.अभि.–II / राजस्व 2490 रायपुर, दिनांक 29/11/17

प्रति,

कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता (क्षे.)
(रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / राजनान्दगांव
/ जगदलपुर / अंबिकापुर)
(रा.क्षे. / बि.क्ष. / दु.क्षे. / राज.क्षे. / ज.क्षे. / अं.क्षे.)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

विषयः खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय विद्युत शुल्क में छूट के संबंध में।

संदर्भः विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2943 / एफ 29 / 01 / 2016 / 13 / 2 नया रायपुर, दिनांक 28.11.2017.

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से राज्य शासन द्वारा उद्योगों को विशेष पैकेज के तहत दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 30 सितम्बर 2017 की कालावधि में लागू विशेष रियायती पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को यथा संशोधित कर लोकहित में दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ाया गया है।

अतएव, राज्य शासन द्वारा, विद्युत शुल्क में 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय विद्युत शुल्क में छूट से संबंधित आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

29/11/2017
अति. मुख्य अभियंता–दो
(नियामक ... ऊर्जा प्रबंधन)
छ.रा.वि.वित.कं.मर्या.,रायपुर

प्रतिलिपिः–

01. निदेशक (संचा. / संधा.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर।
02. कार्यपालक निदेशक (संचा. / संधा.) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर,
03. कार्यपालक निदेशक (इ.आई.टी.सी.) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर, सैप प्रणाली में नवीनीकरण एवं ऊर्जा नेट पर प्रसार करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 28 NOV 2017

क्रमांक 2543 /एफ 29/01/2016/13/2:: यतः राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक या आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण राज्य में संचालित उद्योगों के, बंद होने की स्थिति में, इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बड़ी संख्या में बेरोजगार होने की संभावना तथा राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, यह आवश्यक एवं समीचीन है, कि विशेष पैकेज के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रेल 2017 से 30 सितम्बर 2017 की कालावधि में लागू विशेष रियायती पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को यथा संशोधित रूप में लोकहित में दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया जाए।

अतएव, राज्य शासन एतदद्वारा, विद्युत शुल्क में 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय विद्युत शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:—

1. 02 मिलियन टन वार्षिक क्षमता तक के ऐसे स्टील उत्पादक जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहें है तथा 20 एम.व्ही.ए. तक विद्युत भार तक के अन्य स्टील उद्योग जिसमें सम्मिलित सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, फैरो एलॉयज, स्टील कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग, सभी विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म तथा एग्रीकल्चर एलाईड और अन्य कनेक्शन जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से विद्युत प्राप्त करते है, पर वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की दर जो 6 (छः) प्रतिशत है को 3 (तीन) प्रतिशत किया जाए।
2. राज्य में 02 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्टील इकाई में कर रहे है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत दर को 3 प्रतिशत किया जाए।
3. राज्य में 02 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट के ऑक्जलरी खपत पर वर्तमान विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत की दर को 6 प्रतिशत किया जाए।
4. राज्य में 02 मिलियन टन से अधिक क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो के स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं के स्टील इकाई में करते है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की 15 प्रतिशत की दर को 9 प्रतिशत किया जाए।
5. उपरोक्तानुसार विद्युत शुल्क में दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक की कालावधि हेतु छूट दी जाए।

28/11/17

(एम0एस0 रत्नम्)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 2945/एफ 29/01/2016/13/2 नया रायपुर, दिनांक 28 NOV 2017

प्रतिलिपि::–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. सचिव, छ0रा0 विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर।
8. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग/उत्पादन/पारेषण/वितरण/ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
10. डायरेक्टर, (संचालन संधारण)/(कमर्शियल एण्ड रेग्युलेटरी अफेयर्स), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, डंगनिया, रायपुर।
11. डायरेक्टर, जनसम्पर्क विभाग, छ0ग0 शासन, नया रायपुर की ओर प्रचार–प्रसार हेतु।

28/11/17

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
ऊर्जा विभाग